"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2011—ज्येष्ठ 13, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. सिमरन कौर आत्मजा श्री मंहगा सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी गुरूद्वारा श्री गुरूसिंग सभा, सेक्टर 6, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में मेरा नाम सरजीत कौर आत्मजा श्री मंहगा सिंह दर्ज है जो मेरा घरेलू नाम है. मैं अपने घरलू नाम को परिवर्तित कर अपना नाम कु. सिमरन कौर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. सिमरन कौर आत्मजा श्री मंहगा सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. सरजीत कौर आत्मजा-श्री मंहगा सिंह निवासी-गुरूद्वारा श्री गुरूसिंग सभा सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. सिमरन कौर आत्मजा-श्री मंहगा सिंह निवासी-गुरूद्वारा श्री गुरूसिंग सभा सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती कस्तुरी किरण चिखलीकर पति डॉ. अभिजीत अविनाश चिखलीकर, उम्र 27 वर्ष, निवासी एम. आई. जी.-11, सेक्टर-1, शंकर नगर रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह के पूर्व मैं कस्तुरी कुमारी मंगरूलकर पिता श्री आर. बी. मंगरूलकर के नाम से जानी जाती थी. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती कस्तुरी किरण चिखलीकर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कस्तुरी किरण चिखलीकर पति डॉ. अभिजीत अविनाश चिखलीकर के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
डॉ. कस्तुरी कुमारी मंगरूलकर पिता-राजू बलवंत मंगरूलकर निवासी-एम. आई. जी.-11, सेक्टर-1 शंकर नगर, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	डॉ. कस्तुरी किरण चिखलीकर पति-डॉ. अभिजीत अविनाश चिखलीकर निवासी-एम. आई. जी.-11, सेक्टर-1 शंकर नगर, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उत्तर बस्तर कांकेर

राजस्व मामला क्रमांक /बी-113/2010-2011

कांकेर, दिनांक 13 मई 2011

क्रमांक 635B/अविअ/ट्रस्ट/2011.—आवेदक संजय कोड़ोपी पिता चमनसिंह कोड़ोपी निवासी ग्राम सरोना तहसील नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं अन्य 09 के द्वारा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अंतर्गत ओम सांईराम एजुकेशनल ट्रस्ट कांकेर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 16-06-2011 को न्यायालय अवधि में रखी गई है, अत: संबंधित पक्षकार जो ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित समय में आक्षेप कर सकते हैं, अवधि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	ओम सांईराम एजुकेशनल ट्रस्ट कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर.
2.	चल संपत्ति	:	यूनियन बैंक शाखा कांकेर में खाता क्रमांक-557701010010163 में रुपये 130688.00/- नगद जमा.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

पी. के. शांडिल्य,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/715.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1029 बिलासपुर, दिनांक 15-05-2008 के तहत् सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, राजेन्द्र नगर बिलासपुर, पं. क्र. 2614 दिनांक 22-10-1960, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-05-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/716.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1205 बिलासपुर, दिनांक 09-06-2008 के तहत् आदिवासी परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पं. क्र. 62 दिनांक 01-01-1990, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-05-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/744.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/770 बिलासपुर, दिनांक 05-04-2008 के तहत् जय मॉ काली प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, हेमूनगर, बिलासपुर, पं. क्र. 3654 दिनांक 30-03-1995, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-05-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/745.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008 बिलासपुर, दिनांक 14-05-2008 के तहत् दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, पथर्रा, पं. क्र. 3726 दिनांक 16-04-1996, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापंन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-05-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.